

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक 3723 / 14-1 दिनांक, कानपुर, फरवरी, 07 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Subject:- Proposed forest land diversion for laying of natural gas pipeline from Jhashi-Auraiya-Phoolpur by GAIL (India) Ltd. Lucknow having extent 2.064771643 ha ( Forest Divison of Jhashi, Orai, Auraiya, Kanpur dehat, Kanpur nagar, Unnao, Rae Bareilly, Pratapgarh and Allahabad) with felling 1533 trees & 5 poles-reg.

Reg.- Chief conservator/Nodal Officer, Uttar pradesh, Lucknow letter no. 2110/11-c-fp/up/other/23971/20174 dated 10.01.2018.

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर नगर, प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात तथा प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रपत्र मे निम्न प्रकार भरकर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

Observ No	Observation of GOI	Reply
1	As per GIS DSS analysis following issues need redressal. A. Original SOI toposheet has not been submitted with the proposal for both proposed forest land diversion and compensatory afforestation. B. The CD provided with hard copy for kml files is not accessible.	क. वन भूमि हस्तान्तरण व वृक्षारोपण के सम्बन्ध में प्रभा0निदे0, कानपुर नगर, प्रभा0वना0, कानपुर देहात व औरैया से सम्बन्धित सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोसीट की 03-03 प्रतियों मूल में संलग्न कर प्रेषित है। ख. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित सभी 09 प्रभागों से के0एम0एल0 फाइल की सी0डी0 नोडल कार्यालय में याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
2	At A-1 (ii) in Part 1 for submission of short narrative, specific details of the project need submission.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भाग-1 के ए-1इ(II) में शार्ट नैरेटिव प्रोजेक्ट से सम्बन्धित स्पेसिफिक विवरण आनलाइन पूर्व से ही अंकित है।
3	As the proposal is below 20 ha there is no need of submission of cost benefit analysis User Agency (At G Part-1) UA has submitted a cost Benefit Analysis which is not as per guidliness & norms of MOEF& CC.	चूँकि प्रस्ताव 20 हे0 से कम था इसलिए कास्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रस्ताव (भाग-1) से पृथक कर दिया गया है।
4	Certificates under FRA 2006 are exemption issued by respective DMs have following issues: A. Rights of preagricultural communities have	एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ कानपुर नगर, कानपुर देहात व औरैया वन प्रभाग की 03-03 प्रतियों मूल में संलग्न कर प्रेषित।

	A. Rights of preagricultural communities have not been mentioned in certificate. B. FRA Certificate of Unnao, Kanpur dehat & Auraiya are mere Xerox copy without authentication.	मूल में संलग्न कर प्रेषित।
5	NO. Objection Certificate of land Owning authorities/agencies like SPWD, NHAI, Irrigation Department etc have not been submitted with the proposal.	भू-स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व से ही संलग्न है।
6	One Abstract for land area schedule incorporating all forest land requirment district wise need submission.	लैण्ड शड्यूल की गणना प्रस्ताव के साथ पूर्व से ही संलग्न है।
7	As per enumaration list provided 518 trees exist on 0.015162 ha of proposed forest land diversion of Forest Division Jhashi which is practically impossible the deatils need to be rechecked as it makes aound 35000 trees/ha Joint inspection report singed by officials mentions that not a single tree is getting affected.	इस मण्डल से सम्बन्धित नहीं है।
8	Site inspection report of DFO Allahabad does not clarify legal statues of forest land proposed for diversion.	इस मण्डल से सम्बन्धित नहीं है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द)

मुख्य वन संरक्षक  
कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्या:

अ/

समदिनांकित

प्रतिलिपि:—प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं औरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—मुख्य प्रबन्धक(निर्माण), गेल इण्डिया लिमिटेड, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द)

मुख्य वन संरक्षक  
कानपुर मण्डल, कानपुर